JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in
बिहार सरकार

Ref NO:— BRLPS/Proj-IBCB/1042/16/528 Date-17.06.202

कार्यालय आदेश

सामुदायिक संगठनों की बैठक सुचारु रूप से सुनिश्चित करने हेतु

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से बिहार सहित देश के अनेक राज्य प्रभावित हुए। अभी राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आयी है और परियोजना की गतिविधियों को पूर्ववत क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि समुदाय को सक्रिय रूप से जीविकोपार्जन से संबंधित क्रियाकलापों पर जागरूक किया जा सके। समुदाय तक विभिन्न लाभों को पहुंचाने के लिए सामुदायिक संगठनों की बैठक और पारस्परिक व्यवहार महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से इसे नियमित किया जाना उचित है ताकि विभिन्न क्रियाकलापों से समुदाय को लाभान्वित करने का प्रयास हो सके। वर्तमान स्थिति (COVID 19) के सामान्य होने तक, सामुदायिक संस्थाओं को COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन के साथ अपनी कार्य पद्धतियों और प्रोटोकॉल में से कुछ को परिवर्तित करना होगा जो निम्नलिखित रूप मे वर्णित है:

1. **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों के लिए अपेक्षित आचरण जिसका अनुपालन वांछनीय होगा-**

क. न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी : COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक संस्थाओं के बैठकों के आयोजन के लिए सदस्यों द्वारा एक ऐसे स्थल का चयन किया जाए, जहाँ न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी बनाते हुए बैठकों का आयोजन किया जा सके।

ख. बैठक में भाग लेने के लिए आते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहन कर आने वाली सदस्य को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए और सम्बंधित सदस्यों को उपयुक्त व्यवहार पालन के लिये प्रेरित किया जाए।

ग. गर्भवती, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मां, 60 वर्ष से अधिक उम्र की तथा बीमार महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दिया जाए।

घ. प्रत्येक बैठक-स्थल में साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे बैठक के पूर्व सहभागी,अपने हाथ अच्छी तरह धो सकें। इनकी खरीद, सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा अपने सामुदायिक संस्था की निधि से किया जा सकता है तथा इस खर्च को प्रशासनिक मद में प्रविष्ट किया जा सकता है।

ङ. बैठक में COVID-19 से बचाव के उपाय एवं इसके टीकाकरण के महत्व सम्बन्धी जागरूकता पर अनिवार्यतः चर्चा होनी चाहिए।

2. सामुदायिक संस्थाओं की बैठक:

क. स्वयं सहायता समूह की बैठक तत्काल, पाक्षिक रूप से (15 दिनों पर) आयोजित किया जा सकता है। स्थिति सर्वथा सामान्य होने पर स्वयं सहायता समूह अपनी साप्ताहिक बैठक का अपेक्षित निर्णय ले सकते हैं।

ख. समूह की बैठक में पदाधिकारी सहित सभी स्वस्थ्य सदस्य व्यावहारिक तथ्यों का पालन करते हुए भाग लेंगे।

ग. ग्राम संगठन (VO) की बैठक में प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि के साथ एक बार मासिक बैठक की जाएगी।

घ. CLF/ TLC की बैठक मासिक अन्तराल पर होगी। प्रारम्भ में, बैठकों में निदेशक मंडल के सदस्य ही भाग लेंगे। स्थिति सामान्य होने पर, VO/CLF/TLC द्वारा प्रतिनिधि निकाय की बैठक सम्बंधित सामुदायिक संस्थाओं के एक प्रतिनिधि के साथ नियमानुसार संचालित की जाएगी। स्थिति की सर्वथा अनुकूलता होने पर सामुदायिक संस्थाएं पूर्ववत अपने क्रियाकलाप के सम्बन्ध में बैठक कर निर्णय ले सकते हैं।

ङ. संकुल स्तरीय संघ (CLF) कार्यालय का नियमित संचालन किया जाएगा। सम्बद्ध संकुल संघ से जुड़े कैडर, जैसे संकुल संघ लेखापाल और क्लस्टर फैसिलिटेटर उक्त कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। संकुल संघ के पदधारकों(अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव) में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति प्रतिदिन रहेगी। संबंधित पदधारी अपने क्रम का निर्धारण विचार विमर्श कर सुनिश्चित करेंगे ।

च. सभी लेन-देन,वित्तीय कार्य,वित्तीय निर्णय निदेशक मंडल की बैठक में लिए जायेंगे एवं सभी चेक निदेशक मंडल की बैठक में हस्ताक्षरित किये जायेंगे। आकस्मिकता की स्थिति में या दो बैठकों के मध्य किसी अनिवार्य स्थिति में आवश्यकतानुसार सम्बंधित पदाधिकारी को बुलाया जा सकता है।

छ. कार्यक्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यकलापों की समीक्षा हेतु संकुल संघ के स्तर पर कैडर की बैठक सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए 2 से 3 चरणों में किया जा सकता है।

ज. लेखांकन को अद्यतन करना, ऋण वापसी, बचत खाता को खोलना, RF/ ICF/ FSF/ HRF के भुगतान, मास्क-उत्पादन, COVID टीकाकरण,सतत जीविकोपार्जन योजना,रसोई-बागवानी, प्रवासियों/ छूटे हुए परिवारों का समायोजन, वर्तमान SHG एवं नवनिर्मित SHG का अद्यतन विवरणी तैयार करना आवश्यक होगा।

झ. नगद भुगतान प्रक्रिया को यथासंभव हतोत्साहित किया जाएगा। अत्यंत अनिवार्य रहने पर नगद भुगतान सदस्यों की सहमती से किया जाएगा।

3. सामुदायिक संगठक (कैडर) के मानदेय का भुगतान:

क. कैडर संबद्ध सामुदायिक संस्थाओं को किये गए कार्यों की सूची समर्पित करेंगे,जिसके आधार पर कैडर का मानदेय भुगतान किया जाएगा। स्थिति सामान्य होने पर कैडर के मानदेय का भुगतान पूर्व निर्धारित मानकों के साथ किया जाएगा।

ख. BPIU द्वारा कैडर के मानदेय-भुगतान हेतु निर्धारित आवश्यक निधि की आवश्यकता की जानकारी विहित प्रपत्र में DPCU को दी जायेगी। BPM की अनुशंसा पर DPCU आवश्यक निधि हस्तांतरित करेंगे। अन्य सभी वित्तीय भुगतान पूर्व निर्धारित वित्तीय मानदंडों के आधार पर होंगे।

ग. मार्च 2021 हेतु सभी कैडरों का मानदेय-भुगतान सामुदायिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा तथा इन सामुदायिक संस्थाओं को परियोजना द्वारा उक्त राशियों की आदायगी की जाएगी। इस हेतु CBOs को देय-राशि भुगतान को BPIU/DPCU द्वारा जून 2021 के अंत तक सुनिश्चित किया जाए।

(614)

घ. प्रथम तिमाही (Q1) हेतु भी कैडरों को मानदेय-भुगतान CBOs द्वारा ही किया जाएगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति परियोजना द्वारा सम्बंधित CBOs को की जाएगी। इस हेतु CBOs को देय-राशि भुगतान को BPIU/ DPCU द्वारा ससमय सुनिश्चित किया जाए।

ङ. द्वितीय त्तिमाही (Q2) की निधि- मांग (सभी वित्तीय देयता सहित) की जानकारी BPM द्वारा DPCU को 20 जून 2021 तक समर्पित की जायेगी।

च. वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 2021) हेतु, कैडर-मानदेय का पूर्णतया भुगतान परियोजना द्वारा किया जाएगा। सम्बंधित प्रसंग वर्ष 2021-22 के सिर्फ प्रथम तिमाही तक के लिए मान्य होगा।

उपर्युक्त निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

17/06/2021

(**बालामुरुगन डी.**)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह - राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. All DPMs/ FMs/ All Thematic Managers/ TOs/ BPMs
2. All PCs/ SPMs/ SFMs/ PMs/ AFMs
3. OSD/ Director/ CFO/ AO/ PS/ PO
4. IT Section
5. Concerned file.